जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 30.11.2024**

एसओजी/सर्विलान्स शामली व थाना गढीपुख्ता पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना का अल्पअवधि में सफल अनावरण करते हुए लूट की घटना में शामिल 04 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटी हुई मोटर साइकिल व घटना में प्रयुक्त कार बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 28.11.2024 को वादी श्री कार्तिक पुत्र विनय कुमार निवासी ग्राम जन्धेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली अपने भाई अर्जुन की मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहे थे। भैंसवाल नहर पटरी से नहर माजरा के पास 04 अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी को रोककर मोटरसाइकिल छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। थाना गढीपुख्ता पुलिस एवं गठित टीमों द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटनास्थल के आसपास जानकारी करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा साक्ष्यों के आधार पर लगातार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 30.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलान्स शामली व थाना गढीपुख्ता पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटर साइकिल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 04 बदमाशों को ग्राम मालैण्डी से ग्राम ताना की तरफ जाने वाले रास्ते पर भट्टे के पास से लूटी हुयी मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.दीपांशु उर्फ शेखर पुत्र सहदेव निवासी ग्राम पुरमाफी थाना झिझाना जनपद शामली।

2.अक्षय कुमार पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम पुरमाफी थाना झिझाना जनपद शामली (तैनाती-44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ)।

3.वंश खैवाल पुत्र सुमित खैवाल निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

4.विक्रान्त उर्फ विक्की पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटी हुई मोटर साइकिल स्प्लेंडर रजि0 नं0 HR51BU2560

2.घटना में प्रयुक्त कार SPRESSO रजि0 नं0-HR38AD0475

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थानाध्यक्ष थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.उ0नि0 फतेह सिंह प्रभारी सर्विलान्स सैल जनपद शामली।

3. उ0नि0 श्री पविन्द्र कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

4.उ0नि0 श्री विनोद कुमार तेवतिया थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।।

5.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह एसओजी टीम जनपद शामली।

6.उ0नि0 श्री रामकिशन सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
7.है0का0 संजय पंवार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
8.है0का0 ललित कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
9.है0का0 प्रदीप कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
10.का0 सनोज कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
11.का0 दीपक सिंह एसओजी टीम जनपद शामली।
12.का0 अनुज कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
13.का0 शादाब एसओजी टीम जनपद शामली।
14.का0 राममुर्ति तेजा एसओजी टीम जनपद शामली।
15.है0का0 दीपक कुमार सर्विलान्स सैल जनपद शामली।
16.का0 मोहित कुमार सर्विलान्स सैल जनपद शामली।
17.का0 सुशील कुमार सर्विलान्स सैल जनपद शामली।
18.का0 अनिल कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग व पथराव करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 31.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग व पथराव करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि घटना में लिप्त 09 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.08.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षो में घातक हथियार से हुई फायरिंग व ईट-पत्थर से मारपीट की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कोतवाली शामली पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.बालू पुत्र इकराम निवासी मौहल्ला आजाद चौक काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 मोतीलाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.का0 कुल्दीप थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कांधला/झिंझाना/बाबरी/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 15 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 30.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/कांधला/झिंझाना/बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 15 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.मशीउल्लाह पुत्र युसुफ निवासी कस्बा गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।
2.नरेश पुत्र बिगारी निवासी ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.वासिल पुत्र रियाज निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
4.मुबारिक पुत्र इरशाद निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली।
5.जाकिर पुत्र रुकमद्दीन निवासी ग्राम तिसंग थाना झिंझाना जपनद शामली।
6.राजेन्द्र पुत्र करेशन निवासी मौहल्ला ताडवाला कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
7.काला पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मुन्डेट थाना थानाभवन जनपद शामली।
8.मोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
9.रविन्द्र उर्फ राजीव पुत्र रघुवीर निवासी लिसाढ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
10.राममेहर पुत्र कबाडी निवासी ग्राम कासमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।
11.एसओ पुत्र राममेहर निवासी ग्राम कासमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।
12.राजीव पुत्र राममेहर निवासी ग्राम कासमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।
13.मुजफ्फर पुत्र इमत्याज निवासी ग्राम बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली।
14.नवीन पुत्र जगमेर निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।
15.अनुज पुत्र राजसिहं निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 24,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

दिनांक 08.09.2020 को वादी ललित कुमार पुत्र सुक्कड सिंह निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गढीपुख्ता जनपद शामली की माता अनीता के घर में सो रही थी कि रात्रि में अभियुक्त लाल सिंह पुत्र रिसाल सिंह निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गढीपुख्ता जनपद शामली द्वारा चाकू से वार कर अनीता की हत्या कर दी गयी थी घटना के सम्बन्ध में वादी ललित कुमार(पुत्र) की तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर क्रमशः मु0अ0सं0 120/20 धारा 302/452/506 भादवि व मु0अ0सं0 121/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम लाल सिंह पंजीकृत किये गये थे। थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा अभियुक्त लाल सिंह को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध समस्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.11.2024 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(FTC), शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास, धारा 452 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.लाल सिंह पुत्र रिसाल सिंह निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2023 में अभियुक्त नसीर पुत्र शराफत निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 14/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारार 272/273 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.11.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL/SC/ST कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 272 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा 273 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.नसीर पुत्र शराफत निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1.वर्ष 1994 में अभियुक्त विनोद पुत्र फग्गन निवासी हरसाना बोडा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 35/157/1994 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.11.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/FTC कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.विनोद पुत्र फग्गन निवासी हरसाना बोडा थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI